कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1639/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 10 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलईंया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/169/2022/एफ0सी0/299, दिनांक 27.07.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–428/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 03.08.2022 भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/08/169/2022/एफ0सी0/516, दिनांक 19.09.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–1107/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 21.09.2022 एवं आपका पत्रांक–1439/33–1, दिनांक 07.11.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.11.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–03 एवं 10 के निराकरण के क्रम में पत्र के साथ संलग्न किया गया संशोधित CA का प्राक्कलन, Geo Referenced Digtial Map, SoI Toposheet & kml file को ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है तथा 3750 वृक्षों के स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों की एन0ओ0सी0 संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0–11 का सही निराकरण नहीं किया गया है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार सही निराकरण कर इससे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमीयों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों को ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड कर संशोधित निराकरण तीन प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1639 /11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1429